



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 28 / 2015

वादी

छगुड़ी पत्नी कानाराम, जाति
जाट निवासी अडिंगो की ढाणी
खोजानगर, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

बनाम

- प्रतिवादीगण**
1. सुरेश कुमार लाखोटिया पुत्र श्री
सेवाराम लाखोटिया, जाति
माहेश्वरी, निवासी श्रीकुंज 39 ए
धर्मनारायणजी का हत्था, पावटा
जोधपुर
 2. सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 24.05.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाढाणा राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई। वादीनी स्वयं उपस्थित। उपरोक्त पत्रावली में वकील वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु तारीख पेशी 18.10.2016 को आदेश प्रदान किया गया लेकिन वादीया तथा वादीया के अधिवक्ता द्वारा आज दिन तक सम्मन पेश नहीं कर न्यायालय आदेश की पालना नहीं की है। अतः वादीया का दावा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को मजमें आम में सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा